FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP Crll

कलेक्टर

मुकाम बांदीकुई

प्रभुसिंह उर्फ भिवानसिंह बनाम हुकमसिंह

दावा टकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा नं० 15/2024 सन् 2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अंतिम बहस हेतु 26/7/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
26/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र पर उपस्थित वकील बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस उपस्थित पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन के आधार पर प्रार्थना 151 सी०पी०सी० स्वीकार नहीं होने से खारिज किया जाता है तहसीलदार महोदय से प्राप्त रिपोर्ट पर वादीगण वकील बहस सुनी। वादीगण वकील बहस पर मनन करने एवं प्राप्त रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार किये जाकर वादीगण वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः वादीगण वाद दावा टकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अंतिम डिक्री जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 26.7.24 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)
PH:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

करण संख्या :–149/2021

उनवान– बाबूसिंह उर्फ शिवपाल सिंह बनाम उग्रभान सिंह वगै.
दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

"प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी."

"प्रार्थना–पत्र एकतरफा कार्यवाही दिनांकः 12.01.2022 को मंसूख करवाने बाबत

निर्णय दिनांक 22.09.2023

प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. एकतरफा कार्यवाही दिनांकः 12.01.2022 को मंसूख करवाने बाबत पेश किया कि प्रकरण में प्रार्थी की न्यायालय द्वारा दिनांकः 12.01.2022 को यह कहते हुये एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी कि वकील वादीगण उपस्थित प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 06 बावजूद रजिस्टर्ड एडी तामील के उपस्थित नहीं कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लायी जाती है। प्रतिवादीगण की तामील नहीं हुई है ना ही तामील कुनिन्दा के कोई बयान न्यायालय में करवाये गये है। न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं भेजी है। रजिस्टर्ड नोटिस से भेजी गयी है। न्यायालय द्वारा बताया गया है कि रजिस्टर्ड डाक की कोई पावती लौटी है ना ही लेने से इन्कारी का कोई एन्डोर्समेन्ट डाकिया द्वारा पाया गया है। केवल रजिस्ट्री रसीद के आधार पर तामील मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है जो विधि प्रतिकूल है। प्रार्थी के न्यायालय में उनके विरूद्ध चल रहे वाद की पूर्व में कभी भी जानकारी ही नहीं रही है। वादी द्वारा गलत तथ्यों पर वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में न्यायालय द्वारा दिनांकः 05.04.2022 को एकतरफा में प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश फरमा दिये गये हैं। वादपत्र में वर्णित भूमि खाता सं. नया 43 पुराना 9 के ख. नं. 162, 186, 236 लगायत 239, 242 ग्राम कठनाडी तह. बसवा जिला दौसा की भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण आपस में एक ही खानदान के हैं। जिनका भूमि विवादग्रस्त में 1/2 में से 1/3, 1/3 हिस्सा होता है, लेकिन वर्तमान में उक्त खसरा नम्बरान की भूमि गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर गलत तरीके से न्यायालय को गुमराह कर निर्णय करवाने में आमादा है जो जमाबन्दी खाता सं. 43 नया व पुराना 9 से पूर्णरूप से साबित है। बाबूसिंह वादी का हिस्सा 1/3 व प्रार्थी का हिस्सा 1/54 व हजारी के वारिसान का हिस्सा 1/54–1/54 दर्ज है जो कतई गलत है क्योंकि वाद में वादी का समस्त खाते में हिस्सा 1/2 में से हिस्सा 1/3 व प्रार्थी का हिस्सा 1/3 व हजारी सिंह का हिस्सा 1/3 दर्ज होना था उसी कम में वैध वारिसान का हिस्सा दर्ज होना था लेकिन गलत इन्द्राज होने का फायदा उठाकर वादपत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी को उक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र मंजूर कर नहीं सुना गया तो भारी अपूरणीय क्षति होगी व न्याय निर्णय गलत होने के कारण भविष्य में लडाई–झगडा होने की संभावना बढ जावेगी। प्रार्थी को उक्त प्रकरण की जानकारी दिनांकः 06.06.2022 को हल्का पटवारी द्वारा कुरैजात बनाने पर आने से हुयी। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर दिनांकः 12.01.2022 को की गई एकतरफा कार्यवाही को अपास्त कर उचित आदेश पारित कर प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी/वादी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण की सादा व जारी डाक से तामील कराई है तथा रजिस्टर्ड डाक से प्रतिवादी की तामील उसके सही पते पर भेजी है तथा बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर नियमानुसार प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रतिवादी हुकमसिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि के प्रतिवादी सं. 22 लगा. 25 के पिता/पति हंसराज गुर्जर एवं शंकर सिंह को बेचान कर चुका है तथा अर्जुनसिंह द्वारा भी अपना हिस्सा का बेचान करने से प्रतिवादीगण का हिस्सा वादी से कम है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है।

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण के प्रकरण की रजिस्टर्ड तामील से सूचना होने से प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। उक्त प्रकरण में मुताबिक रिकार्ड दावा प्राथमिक डिक्री पारित कर उभयपक्षकारान के कुरैजात प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बसवा को उभयपक्षकारान को सुनकर कुरैजात हेतु आदेश पारित किया जिसमें तहसीलदार बसवा द्वारा पक्षकारान को नोटिस भेजा तथा दिनांकः 02.06.2022 को मौके पर जाकर मुताबिक राजस्व रिकार्ड व मौका अनुसार कुरैजात मौके पर तैयार किया, जिसमें प्रतिवादी हुकमसिंह द्वारा कुरैजात पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया तथा अब कतई गलत आधारों पर मनगढन्त कहानी रचकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित होकर प्रस्तुत कुरैजात तैयार होकर शामिल पत्रावली है तथा प्रकरण विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थना–पत्र आदेश 09 नियम 13 पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। दावा तकास्मा का है जिसमें कुरैजात शामिल पत्रावली है जिसमें यदि कुरैजात बाबत कोई आपत्ति है तो उस संदर्भ में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना–पत्र जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी गयी। बहस में उभयपक्ष वकील ने प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष वकील पर मनन किया। प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का बरूये वादपत्र एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन किया। वादपत्र में संलग्न तलबाना एवं तलबी नोटिस मय रजिस्ट्री रसीद डाक विभाग के अवलोकन से प्रतिवादीगण की तामील विधिवत प्रक्रिया के तहत जर्ये रजिस्टर्ड डाक से सही पते पर होना प्रकट है। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जर्ये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी होने के एक माह से अधिक समय होने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी है। जो कि एक विधिक प्रकिया के तहत की गई कार्यवाही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकास्मा का है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित कर मुताबिक राजस्व रिकार्ड उभयपक्षकारान के कुरैजात प्रस्ताव हेतु तहसीलदार बसवा को उभयपक्षकारान को सुनकर कुरैजात प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु आदेश पारित किया गया। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार बसवा से प्राप्त कुरैजात के अवलोकन से जाहिर है कि प्राप्त कुरैजात तहसीलदार बसवा द्वारा उभयपक्षकारान को जर्ये नोटिस विधिवत सूचित कर मौके पर उनकी उपस्थिति में बरूये राजस्व रिकार्ड के तैयार किये गये है। प्राप्त कुरैजात प्रस्ताव में उपस्थित प्रतिवादीगण द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार किया जाना अंकित किया गया है। जिससे यह प्रकट होता है कि कुरैजात प्रस्ताव प्रतिवादीगण की उपस्थिति में तैयार किये गये है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रकट होता है कि प्रकरण में प्रतिवादीगण के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही नियमानुसार एवं विधि के अनुरूप है तथा यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक तलबी के बावजूद भी प्रकरण में न्यायालय में हाजिर नहीं होकर गलत तथ्यों के आधार पर जानबूझकर दावे में आगे की प्रक्रिया को बाधित किये जाने की मंशा से प्रार्थना पत्र एकपक्षीय कार्यवाही हटाये जाने बाबत प्रस्तुत किया है। अतः उभयपक्ष वकील बहस पर मनन करने एवं वादपत्र के संलग्न तलबी नोटिस एवं दस्तावेजातों के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी/प्रतिवादी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. एकतरफा कार्यवाही दिनांकः 12.01.2022 को मंसूख करवाने बाबत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
(नीरज कुमार मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner